संख्या–1495/नौ–7–2023–41(ज)/2021

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 01 ~~अगस्त~~ सितंबर, 2023**

विषयः नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थलों पर विचरण कर रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंशो को कान्हा गौशाला में संरक्षित किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1493/नौ–7–23–41(ज)/2021, दिनांक 30.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपेक्षा की गयी है कि **दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 15.09.2023 तक विशेष अभियान चलाकर** नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों/ सड़को पर पाये जाने वाले निराश्रित एवं बेसहारा गोवंशों को संवेदनशीलता से पकड़कर कान्हा गौशाला/गौ–आश्रय स्थलों में रखते हुए उनके भरण–पोषण एवं संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा निकाय द्वारा विशेष अभियान के दौरान की जा रही कार्यवाही के विषयगत सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2023 को लिखित रूप से निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि निकाय के समस्त निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संवेदनशीलता के साथ पकड़कर कान्हा गौशाला/गौ–आश्रय स्थलों में रखते हुए उनके भरण– पोषण एवं संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 द्वारा उक्त सूचना संकलित कर दिनाक 18.09.2023 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

NV 7 2023